

अनुमति की शर्तें ।

- (a) उक्त भवन/पुस्तक के निर्माण की स्वीकृति स्थापित किए जाते हैं ।
- (b) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजस्विय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- (c) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेंगे ।
- (d) स्वीकृत नगरी के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

प्रकाश खिडली केवल आवासीय प्रयोजनके

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी+1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 336 दिनांक 19/11/2020
 माथी खिडली पुरी 5/0 श्री किरान पुरी
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No. 246/P-1022-P
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय अस्पती नगर
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12500/- (एक
 लाख 2069/2555, 2556
 दिनांक 19/11/2020 को जमा करा दी है ।

23/11/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Handwritten signature and notes:
 दिनांक 21/11
 9020077148